



बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना


सं० सं०-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2025 380... पटना-15, दिनांक-14...अप्रैल, 2026  
भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार  
दिनांक-14.04.2026 के अपराहन के प्रभाव से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के  
सदस्य नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
  
(प्रत्यय अमृत)  
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2025...380.....पटना-15, दिनांक-14...अप्रैल, 2026  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/  
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सरकार  
के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2025...380.....पटना-15, दिनांक-14...अप्रैल, 2026  
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/  
विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
अपर सचिव


ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2025...380.....पटना-15, दिनांक-14...अप्रैल, 2026  
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के  
असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी मुद्रित 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने  
की कृपा की जाय।

  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2025...380.....पटना-15, दिनांक-14...अप्रैल, 2026  
प्रतिलिपि-उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार सिंह)  
अपर सचिव